

**मांग संख्या 11**  
**मुख्य शीर्ष 2851**

**मद क्रमांक 1**

मैदानी एवं नवीन जिलों के कार्यालय संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी हेतु राशि ₹52.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2852**

**मद क्रमांक 2**

व्यावसायिक सेवाओं के अदायगियां हेतु राशि ₹12.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

छ.ग. उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना एवं संचालन हेतु राशि ₹330.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹3,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान योजना हेतु राशि ₹75.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अन्तर्गत राशि ₹311.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।